REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 1 | OCTOBER - 2018

नैतिकता एवं भारतीय राजनीति

डॉ. मनीष कुमार साव
सहायक प्राध्यापक– राजनीतिविज्ञान
शास.एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा (छ.ग.).

भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों का चौतरफा क्षरण हो रहा है। जिसके कारण ना केवल राजनीतिक विघटन हो रहा है बल्कि सामाजिक विघटन एवं पारिवारिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। जहां राजनीति में नैतिकता की दृष्टि से एक दोषमुक्त वातावरण में पूर्णता की आशा करना अवास्तविक और एकतरफा होगा वहीं दूसरी ओर इस बात से इंकार नही किया जा सकता कि राजनीति में जो मानदण्ड स्थापित किये गये है, वे शासन के अन्य पहलुओं पर महत्वपूर्ण असर डालते है। यूरेशिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के 10 भूराजनैतिक वाले देशों में 5वां स्थान रखता है। जोखिम संबंधी यह आंकड़ा भारत में होने वाले राजनैतिक हलचलों, अनैतिक परिदृश्यों को इंगित करता है। अब यदि राजनीति में नैतिकता की बात की जाए तो यह राजनीति में कला कौशल के द्वारा अधिक जनकल्याणकारी स्वरूप से संबंधित है और जहॉ नैतिकता का अभाव होता है वहां स्वार्थ के साथ–साथ सामाजिक रूप में समस्याऍ पैदा होती है। विगत वर्षो में घट रही राजनैतिक घटनाओं संबंधित मामले जैसे–2जी–स्पेक्ट्रम घोटाले, चारा घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला आदि से लेकर वर्तमान में चर्चित राफेल डिल्स का मुद्दा इसके अलावा राजनीति में गलत छबि के लोगेा के नेताओं को पद पर आसीन करना सहित कई ऐसे मुद्दे है जो शासन में नैतिकता के स्वरूप पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करते है।

राजनीति में नैतिकता के क्षरण के प्रमुख कारण–

1} सत्तालोलुपता :–

सत्ता के प्रति लोलुपता सरकारी व्यवस्था में सभी प्रकार के अनैतिक कार्यो को करने को मजबूर करते है जैसे कुछ सरकार मिनिमम गवर्नमेंट व मैक्सीमम गर्वनेंस की बात करते है किन्तु इसे चरितार्थ नही कर पाते।

2} परिवारवाद के लक्षण :–

कुछ राजनैतिक दल अभी भी ऐसे हैं जो वंशवादी परंपरा को बनाए रखने में अपनी शान समझते हैं। इसलिये देश में अभी भी कई राजनीतिक दल हैं जो वंशानुगत राजनीति से घिरे हुए हैं।

3} भारत की संवैधानिक व्यवस्था :–

भारत में जनता द्वारा शासक का चयन होता है परंतु संवैधानिक व्यवस्था अनुसार शक्ति प्राप्त होने के कारण बहुमत के प्रभाव में आकर किसी भी नीति को पास करने में विपक्षी, दलों को नजर अंदाज कर देते हैं जैसे वर्तमान सरकार द्वारा राज्य सभा में विपक्ष दलों व उपसभापति की

अवमानना कृषि विधेयक 2020 को पास कराने के संबंध में जो कि संवैधानिक गौरव को धूमिल करने वाले प्रयास के रूप में देखा जा सकता है।

4} जनता की जागरूकता में कमी :–

जनता अशिक्षा और जागरूकता के आभाव से युक्त है ऐसे में सही व्यक्तियों के चयन न होने के कारण भी अनैतिकता का समावेश है इसमें जनता की मतदान केप्रति अनिच्छा या लापरवाही, लोकलुभावन वायदे के झांसे में आ जाना या चुनाव के समय पैसे, शराब आदि के लालच में मतदेना आदि के कारण अनैतिक लोगों के प्रवेश संभव हो जाते हैं।

5} राजनीति का अपराधीकरण :–

अपराधियों का चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना हमारी निर्वाचन व्यवस्था का एक नाजूक अंग बन गया है। चुनाव में बड़ी संख्या में गैर कानूनी और अनुचित धन का व्यय भ्रष्टाचार का एक मूल कारण है। यद्यपि चुनाव में खर्च करने की औपचारिक सीमा है।

6} राजनीतिक कोषों का दुरूपयोग :–

भारत में राजनीतिक दलों को धन उपलब्ध कराने के स्त्रोतों में निजी दान भी एक स्त्रोत है। इसके तहत राजनीतिक दल निजी कंपनियों एवं बड़े उद्योगपतियों से चुनाव हेतु धन प्राप्त करते है, तथा चुनाव जीतने के बाद उन बड़े कंपनियों एवं उद्योगपतियों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाते है।

5} अन्य कारण :–

मीडिया की निष्पक्ष भूमिका का अभाव, आरोप–प्रत्यारोप का शासन व्यवस्था केवल चुनावी मुद्दों को लेकर बयानबाजी, आम नागरिकों के प्रति होने वाली किस भी प्रकार की समस्याओं को नजर अंदार करना इत्यादि जैसे अनेक कारण राजनेताओं के संदर्भ में आचार संहिता का अभाव होना, राजनेताओं का नौकरशाही कार्यकलापों पर हस्तक्षेप करना इत्यादि कारण है।

यह सभी स्थितियाँ राजनीति में शासक की भूमिका में सत्ता को प्राथमिक और लोकसेवा व नागरिकों को गौण बनाते है।

6} दल–बदल विरोधी कानून का दुरूपयोग –

इसमें नीजी हितों में और वृद्धि करने के लिए राजनीति प्रणाली के साथ छल–कपटकियाजाता है तथा यह राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक शक्तिशाली स्त्रोत है। इस कानून के दुरूपयोग कर राजनीतिक नैतिकता के अतिक्रमण के साथ ही अवसरवादिता को भी बढ़ावा मिलता है।

7} अयोग्यता :–

जघन्य अपराधों जैसे – हत्या, अपहरण, बलत्कार, डकैती तथा भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति देना। राजनीतिक नैतिकता के क्षरण का प्रमुख कारण हैं।

सात सामाजिक अपराध

महात्मा गांधी द्वारा 1925 में ''यंग इंडिया'' में बताए गए सात सामाजिक पाप :

1. बिना सिद्धांतों के राजनीति
2. बिना काम के धन
3. बिना अंतःकरण के आराम
4. बिना चरित्र के ज्ञान
5. बिना नैतिकता के व्यापार
6. बिना मानवता के विज्ञान

7. बिना बलिदान के पूजा

राजनीति में नैतिकता के अंश समाहित करने का प्रयास–

(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 – जो आम जनता को सरकारी तंत्र के कार्य कलापों की सूचना प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं।
(2) लोकपाल और लोकायुक्त अधि. 2011 – इसके द्वारा सरकार, या किसी भी संसद विधायक राजनेताओं सहित अधिकारियों पर भी किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यो पर लगाम लगाने हेतु आवश्यक नीति व तंत्र के रूप में स्थित हैं।
(3) व्हीसलब्लोअर अधिनियम 2014 – इसके अंतर्गत शासन प्रशासन या किसी भी तंत्र में होने वाली अनैतिक क्रियाओं के विरोध में आवाज उठाने वाले लोगों के संरक्षणहेतु महत्वपूर्ण अधिनियम है।
(4) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 – भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने हेतु लाया गया महत्वपूर्ण अधिनियम है।इसके अलावा सरकार के 'गाँव डिजिटल पोर्टल', जैम (जनधन, आधार मोबाइल), डिजिटललाइजेशन, साथ ही सीटिजन चार्टर, संस्थागत रूप में नियंत्रक महालेखा परीक्षक, केंन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केन्द्रीय सतर्कता आयोग आदि के रूप में सरकार के स्तर पर विभिन्न प्रयास किये गये हैं।

राजनीति में किये गये सुधार –

- निर्वाचन नामवालियों की परिशुद्धता में सुधार
- उम्मीदवारों के पूर्ववृत्तों का ब्योरा देना
- दंडित अपराध के दोषी लोगों की अयोग्यता
- आचार संहिता का प्रवर्तन करना
- स्वतंत्र तथा निर्भीक चुनाव

मंत्रिपरिषद् के आकार को कम करना (संविधान 91वां संशोधन) अधिनियम 2003 मंत्रिपरिषद् के आकार को संसद के निचले सदन/राज्य विधानमंडल की संख्या के 15 प्रतिशत तक प्रतिबंधित करता है। यह संशोधन मंत्रियों की संख्या को कुछ सीमा तक सामान्य रखने हेतु एक कदम है।

सुझाव निम्नानुसार हैं :–

1. राजनेताओं के संबंध में आचरण संहिता का निर्धारण व परिपालन संबंधी निश्चितता का निर्धारण होना चाहिए।
2. चुनावी प्रक्रिया के दौरान पूर्व प्रत्येक प्रत्याशी अपने लक्ष्य निर्धारित करे एवं पालन व पूर्णता संबंधी वायदे के अमल में लाए जाने पर अडिग रहे और वायदा पूरा करने पर पद त्याग जैसी नियमावली बनाई जानी चाहिए।
3. राजनेताओं के संबंध में न्यूनतम शैक्षिण अर्हता संबंधी मापदंड का निर्धारण आवश्यक है जैसे कि छ.ग. सरकार द्वारा पंचायत चुनाव के लिए इस मापदंड को हटाया गया है जो कि उचित प्रतीत नही होता है, इससे राजनैतिक व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते है।
4. सरकार को मिनीमम गवर्नमेंट व मैक्सीमम गर्वनेंस की भूमिका अदा करनी चाहिए।
5. राजनेताओं के वेतन पेंशन में अनावश्यक वृद्धि को रोकने पर विचार किया जाना चाहिए।
6. ऐसी राजनीतिक पार्टियां जिन्हे कोष की पर्याप्त राशि प्राप्त होती हो, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए।
7. भ्रष्टाचार या घोटाले की सूचना देने वाले को संरक्षण प्रदान करने के लिए विधि आयोग द्वारा सुझायी गई बातों पर तत्काल ही विधान को अधिनियमित किया जाना चाहिए।
8. सरकार की जांच एजेंसियों पर नियंत्रण और दबाव मंत्रियों का होता है, और इसलिये प्रधानमंत्री के लिए मंत्रियों के पद के आचरण का मूल्यांकन कर पाना कठिन होता है। अतः मंत्रियों में

नैतिक आचार के उच्च मापदंडों को लागू करने में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय मूल्यवान सिद्ध होंगे।

9. भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक जोखिम प्रबंधन व्यवस्था को यह सुनिश्चित करते हुए जोखिमों को कम करना चाहिए। ''निम्न जोखिम वाले कार्मिक'' को ''उच्च जोखिम वाले काम'' या इसके विपरीत दिये जाये।
10. स्थानीय निकायों के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुनने के लिए स्थानीय निकाय ओम्बड्समैन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

निष्कर्ष –

साफ–सुथरे ढंग से किये जाने वाले राजनीति में नैतिक मूल्यो में वृद्धि करने, भ्रष्टाचार रोकने और प्रशासन को सही ढंग से सुव्यवस्थित करने के लिए राजनीति में नैतिक व्यवस्था हेतु विधान बनाना चाहिए। जनता और पदाधिकारी के बीच का संबंध यह अपेक्षा करता है कि अधिकारियों को सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग लोगो की सर्वोत्तम भलाई या जनहित में किया जाना चाहिए। अतः वर्तमान भारत को आवश्यकता है कि देश फिर से अपनी गौरवशाली ऐतिहासिक राजनैतिक साम्राज्य व्यवस्था जैसे श्री राम राज्य, मौर्यराज्य आदि की परंपरा को बनाए रखते हुए भारत को अधिक सशक्त, लोक कल्याणकारी गणराज्य बनाने हेतु राजनीति में नैतिकता का समावेश करे ताकि भारत फिर से अपने विश्व गुरू के स्वरूप को प्राप्त कर सके।

संदर्भ सूची :–

1} भारत के विधि आयोग की निर्वाचन सुधार अधिनियम 1999 पर 170वीं रिपोर्ट
2} यंग इंडिया :– महात्मागांधी 1925
3} भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
4} पत्रिका 30 दिसम्बर 2017
5} अपना ब्लाक, 'राजनीति में नैतिकता' विवेक पाण्डेय 25 मार्च 2013
6} रजनी कोठारी :– 'पोलिटिक्स इन इंडिया' ओरियंट एण्ड लाग मैन लि. 1970
7} एम.एन. श्रीनिवास – 'सोशल चेंजेस' मार्डन इंडिया (एलाएड पब्लिशर्स 1916)